"साधारण डाक"

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 ईमेल : uicddn@gmail.com वैब: http://uic.gov.in

पत्रांक 1348 / उ.सू.आ. / 2011 दिनांक : 23/12/011

1. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अनुसचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार

अपील संख्या- **6188**/2011 श्री कालू राम पुत्र श्री दिलेराम, कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, स्थल बाबूगढ़, विकास नगर, देहरादून बनाम अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार व अन्य में आयोग द्वारा पारित **09 / 12 / 2011** के आदेश की प्रति आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित की जा रही है.

संलग्न : यथोपरि.

उपसचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
2. कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
3. कुलसचिव, संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत भवन, हरिद्वार
4. कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सिद्धोवाला, देहरादून
5. कुलसचिव, गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर
6. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की, हरिद्वार
7. सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल

संलग्न : यथोपरि

उपसचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

प्रतिलिपि श्री कालू राम पुत्र श्री दिलेराम, कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, स्थल बाबूगढ़ विकास नगर, देहरादून को आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न : यथोपरि

उपसचिव
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून, उत्तराखण्ड

अपील संख्या : A (H)- 6188/2011

अपील अंतर्गत धारा 19(3) सू. का. अधि. अधिनियम 2005

समक्ष : प्रभात डबराल, राज्य सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड

अपीलकर्ता : श्री कालू राम पुत्र श्री दिलेराम, कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति, स्थल बाबूगढ़, विकास नगर, देहरादून

बनाम

प्रतिवादी
1. लोक सूचना अधिकारी / अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार
2. विभागीय अपीलीय अधिकारी / अनुसचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार

प्रतिलिपि
1. कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
2. कुलसचिव, दून विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
3. कुलसचिव, संस्कृत महाविद्यालय, संस्कृत भवन, हरिद्वार
4. कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, सिद्धोवाला, देहरादून
5. कुलसचिव, गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर
6. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की, हरिद्वार
7. सचिव, विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल

आदेश

लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अपीलकर्ता तीनों ही उपस्थित हैं।

2. प्रस्तुत प्रकरण इस प्रश्न से संबंधित है कि परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देय सूचनाओं की श्रेणी में आती है अथवा नहीं । प्रस्तुत वाद उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के समक्ष प्रस्तुत उस आवेदन के बारे में है, जिसमें आवेदक श्री कालू राम ने उत्तराखण्ड लोक सूचना आयोग द्वारा 2007 में ली गयी किसी लिखित परीक्षा में अपने द्वारा

लिखी गयी तीन उत्तर–पुस्तिकाओं की सत्यापित प्रतियां मागी थी। लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सूचना देने से इन्कार कर देने के बाद आवेदक ने आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दायर की है, जिस पर सुनवाई की जा रही है।

3. वाद का इतिहास इस प्रकार है:–

3.1 आवेदक ने दिनांक 21/07/2011 को लोक सूचना अधिकारी/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरूकुल कांगडी, हरिद्वार को लिखे अनुरोध पत्र में 3 बिन्दुओं की सूचना मांगी थी जिसमें उन्होंने समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी, सचिवालय की मुख्य परीक्षा–2007 के दौरान तीन विषयों में लिखी गयी उत्तर–पुस्तिकाओं की प्रमाणित छायाप्रति अन्तिम पृष्ठ तक उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसी अनुरोध पत्र के बिन्दु संख्या 1 में प्रार्थी ने उपरोक्त परीक्षा में प्राप्तांकों का विवरण उपलब्ध कराने की सूचना मांगी थी। लोक सूचना अधिकारी ने दिनांक 17/08/2011 को दिये अपने उत्तर में बिन्दु संख्या 1 के सापेक्ष सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी तथा बिन्दु संख्या 2 के सापेक्ष लिखा कि उत्तराखण्ड सचिवालय/लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा–2007 के लिखित परीक्षा के उत्तर–पुस्तिकाओं का अवलोकन/छायाप्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(ई) के तहत नहीं दी जा सकती।

4. आयोग ने इस बात का संज्ञान लिया है कि उत्तर–पुस्तिकाओं को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत देय मानने के प्रश्न पर माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने दिनांक 15/02/2010 एवं खण्ड पीठ ने दिनांक 14/06/2011. को पृथक प्रकरणों में आयोग के इस फैसले को सही माना है कि स्कूटनी के बाद तथा विनिष्टिकरण से पहले उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति परीक्षार्थियों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

5 माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसलों के आलोक में लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में सूचना प्रदान करने से इंकार करना सूचना अधिनियम के तहत दण्ड की मांग करता हुआ प्रतीत हो रहा है।

6. फिर भी आयोग इस प्रकरण में शिथिलता बरत रहा है क्योंकि लोक सूचना अधिकारी ने आज आयोग के समक्ष आयोग की ही एक अन्य पीठ के निर्णय को प्रस्तुत किया है (दिनांक 30/06/2011) जिसमें माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 38/2004 व स्पेशल अपील संख्या 61/2004 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील संख्या 165 से 1691/1980 में दिये गये निर्णयों के आलोक में राय व्यक्त की गयी थी कि *"आयोग की राय में उत्तर–पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी उपलब्ध कराया जाना एवं निरीक्षण कराये जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। जिन विभागों का पूर्णकालिक काम परीक्षा आयोजित किया जाना है ऐसे विभागों को उत्तर–पुस्तिकाओं की फोटोप्रति उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।"*

7. वर्तमान प्रकरण में उत्तर–पुस्तिकायें उपलब्ध कराने से इंकार करते हुये लोक सूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–8(1)(ई) के अंतर्गत दी गयी छूट का सहारा लिया है। इस धारा में कहा गया है कि *"किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है।"*

8. यहाँ पर आयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सख्या 6454/2011 में दिनांक 09 अगस्त, 2011 को दिये गये निर्णय का उद्धरण देना चाहेगा :-

8.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि *"जब कोई परीक्षार्थी अपने द्वारा लिखी गयी उत्तर–पुस्तिका के अवलोकन करने अथवा उसकी प्रमाणित प्रति लेने की मांग करता है तो वह अपने द्वारा लिखे गये उत्तर नहीं देखना चाहता (वो तो उसे पता ही है) वह अपने कुल प्राप्तांक भी नहीं मांग रहा है (इसकी तो घोषणा हो चुकी है)। वह जानना चाहता है कि उसको हर उत्तर में कितने अंक दिये गये हैं। परीक्षक संस्था उसे ऐसी कोई 'सूचना' नहीं दे रही है जो उसके पास विश्वास (in trust and confidence) में धारित हो। इसलिये विश्वास टूटने का सवाल ही नहीं है।"*

8.2 अपने आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि *"क्योंकि परीक्षा लेने वाली संस्था के पास यह सूचना विश्वासिक नातेदारी (Fiduciary relationship) के रूप में धारित नहीं है इसलिये इस पर धारा 8(1)(ई) के तहत दी गयी छूट लागू नहीं होगी। परीक्षक संस्थाओं को उत्तर–पुस्तिकाओं का अवलोकन कराना ही होगा।"*

8.3 अपने इसी निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि *"जब कोई परीक्षार्थी किसी परीक्षा में बैठता है तथा उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखकर परीक्षा लेने वाली संस्था को देता है ताकि उसका मूल्यांकन करके परिणाम घोषित हो सके तो यह उत्तर–पुस्तिका परीक्षा लेने वाली संस्था के पास धारित "दस्तावेज" या "रिकार्ड" बन जाता है। और जब कोई परीक्षक इस उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करता है तो यह उत्तर–पुस्तिका संस्था के पास धारित एक ऐसा दस्तावेज बन जाता है जिसमें परीक्षक की "राय" (opinion) भी है। इसलिये मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत "सूचना" है।"* प्राधिकारियों के पास धारित हरेक 'सूचना' अधिनियम के तहत देय है बशर्ते कि अधिनियम ने ही उस 'सूचना' को प्रदान करने में रोक न लगा रखी हो।

8.4 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि *"परीक्षा लेने वाली संस्थायें (विश्वविद्यालय, बोर्ड आदि) न तो सुरक्षा एजेंसी है ना ही गुप्तचर संगठन इसलिये धारा–24 में दी गयी छूट इन पर लागू नहीं होती। उत्तर–पुस्तिका के संदर्भ में सूचना प्रदान करने से कापीराइट का उल्लंघन नहीं होता इसलिये धारा–9 भी लागू नहीं होती।"*

9. माननीय सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त निर्णय के आलोक में सभी परीक्षा लेने वाले लोक प्राधिकारियों को यह समझ लेना चाहिए कि परीक्षा के समय लिखी गयी उत्तर-पुस्तिकायें सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत देय सूचनायें हैं तथा उन पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–24, धारा–9 तथा धारा–8(1)(ई) में दी गयी छूट लागू नहीं होगी।

10. ऐसे सभी लोक प्राधिकारियों के संज्ञान में आयोग श्री सत्येन्द्र कुमार बनाम लोक सूचना अधिकारी/उपकुल सचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के वाद शिकायत संख्या 5713/2011 में आयोग द्वारा दिनांक 5/12/2011 को दिये गये निर्णय को भी लाना चाहेगा, जिसमें आयोग ने कहा था कि:–

10.1 *उत्तराखण्ड शासन ने 13 अक्टूबर, 2005 को जारी अधिसूचना के प्रस्तर 5 में स्पष्ट किया है कि "धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना दिये जाने हेतु लोक प्राधिकारी के वित्त/लेखा अधिकारी के नाम देय निम्न दरों के अनुरूप फीस उचित रसीद के प्रति नकद या डिमान्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक के माध्यम से भुगतान किया जाना होगा।*

(क) ए–3 या ए–4 आकार के पृष्ठ (छायाप्रति या तैयार सूचना) हेतु रू. दो प्रति पृष्ठ और इससे बडे आकार के पृष्ठ हेतु वास्तविक लागत

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घण्टा हेतु कोई फीस देय नहीं होगी, उसके उपरान्त प्रत्येक पन्द्रह मिनट (अथवा उसके भाग) हेतु रू0 5/– की फीस का भुगतान किया जाना होगा।

(ग) प्रदेशों एवं नमूनों की वास्तविक लागत का भुगतान किया जाना होगा।"

10.2. *चूंकि अंक पुस्तिका आमतौर पर ए–3 या ए–4 के आकार की पृष्ठ की नहीं होती है, इसलिये अंक पुस्तिका को उपलब्ध कराने के लिये वास्तविक लागत शुल्क के रूप में लिया जाने का प्राविधान किया गया है।*

10.3. *प्रथम दृष्ट्या प्रति अंक पुस्तिका 500 रूपये का शुल्क लागत से अधिक लग रहा है। अंक पुस्तिकाओं के संदर्भ में भी प्रति पृष्ठ के हिसाब से लागत तय की जानी चाहिए, क्योंकि कोई भी अंक पुस्तिका 16 पृष्ठ से लेकर किसी भी सीमा तक के पृष्ठों की हो सकती है। ऐसे में आयोग का मानना है कि विश्वविद्यालय को अपने इस निर्णय पर पुर्नविचार करना चाहिए। लोक सूचना अधिकारी/उप कुल सचिव, कुमायूँ विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रति पृष्ठ अतिरिक्त शुल्क के बारे में एक माह के भीतर कोई फैसला लेकर शिकायतकर्ता को उपलब्ध करायें।*

10.4. *आयोग इस बात का भी संज्ञान लेता है कि अंक पुस्तिकाओं को सहेज कर रखने तथा छायाप्रति उपलब्ध कराने में विश्वविद्यालय का समय, परिश्रम लगता है, जिससे दिये जाने वाले पृष्ठों की लागत पर असर पडना स्वाभाविक है। किन्तु आयोग यह भी चाहेगा कि सूचना के अधिकार*

'अधिनियम की इस भावना का भी संज्ञान लिया जाये कि नागरिक को सूचना सहज एवं सस्ते रूप में सुलभ होनी चाहिए

11. आयोग ने यह तथ्य संज्ञान में लिया है कि कुछ लोक प्राधिकरण ऐसे भी है जहॉ उत्तर–पुस्तिकाओं को 'स्कूटनी' के बहुत कम समय बाद ही "विनिष्ट" कर दिया जाता है। आयोग के समक्ष आये एक से अधिक प्रकरणों में ऐसा हुआ है कि द्वितीय अपील के निस्तारण के समय, उत्तर–पुस्तिकाओं को उपलब्ध कराने का आदेश देने से पहले ही उत्तर–पुस्तिकायें विनिष्ट कर दी गयीं।

12. भविष्य में ऐसी स्थिति पैदा न हो इसलिये इस आदेश की एक प्रति उन सभी लोक प्राधिकारियों को खासकर कुमाऊँ विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड परीक्षा परिषद, सस्कृत महाविद्यालय, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद को भी भेजी जा रही है, ताकि वे इस आदेश में उद्धृत उस किसी भी कारण से उत्तर–पुस्तिकाओं की प्रतियां "सूचना" के रूप में उपलब्ध कराने से मना न करें, जिनके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। यदि उपरोक्त स्थितियों को आधार बनाकर उत्तर–पुस्तिकाओं के अवलोकन अथवा उनकी प्रतियां प्रदान करने से इंकार किया जाता है तो यह सूचना प्रदान करने के उपक्रम में अवरोध उत्पन्न करने के समान माना जायेगा।

13. उपरोक्त विवेचना के साथ प्रस्तुत द्वितीय अपील को पोषणीय मानकर लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदक द्वारा अपने मूल आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 2 पर दी गयी सूचना इस आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर आवेदक को उपलब्ध करा दें। इस आदेश के साथ यह अपील निस्तारित की जाती है।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

खुले में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित

09/12/2011

(प्रभात डबराल)
राज्य सूचना आयुक्त